दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 19 सितंबर, 2014 को प्रातः 10.00 बजे राज निवास, दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री बलविंदर कुमार

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

4. श्री अभय सिन्हा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

सचिव

श्री बृजेश कुमार मिश्रा
आयुक्त एवं सचिव

विशेष आमंत्रित सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी

1. श्रीमती नूतन गुहा बिस्वास
   उप राज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव
2. डॉ. एम.एम.कुट्टी
   प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

3. श्री धर्म पाल

प्रधान सचिव (एल एंड बी), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

4. श्री राजेंद्र कुमार

सचिव (यूडी), रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार

5. श्री टी.श्रीनिधि

प्रधान आयुक्त (आवास, एलडी और सीडब्ल्यूजी), दि.वि.प्रा.

6. श्री दयानंद कटारिया

प्रधान आयुक्त (एलएम, कार्मिक एवं सिस्टम्स), दि.वि.प्रा.

7. श्रीमती स्वाति शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव

8. डॉ. सिम्मी मल्होत्रा

उपराज्यपाल, दिल्ली की सलाहकार (मीडिया, शिक्षाविद्, कला, संस्कृति और भाषा)

9. श्री अजय चौधरी

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी

10. श्री एम.के.गुप्ता

आयुक्त (एलडी), दि.वि.प्रा.

11. श्री पी.एम.पराते

आयुक्त (इंचार्ज)/योजना, दि.वि.प्रा.

12. श्री शमशेर सिंह

मुख्य नगर योजनाकार, एनडीएमसी एवं एसडीएमसी

13. श्री सुनील मेहरा

मुख्य नगर योजनाकार, ईडीएमसी

14. श्री अनिल कुमार शर्मा

मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.

15. श्री आर.के.जैन

अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

16. डॉ. के.श्रीरंगन

निदेशक, यूटीपैक, दि.वि.प्रा.

17. श्रीमती नीमो धर
सलाहकार (ज. सं.), दि.वि.प्रा.

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद संख्या 128/2014:

राज निवास में दिनांक 21.08.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ.2(2)08/2014/एमसी/डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण में दिनांक 21.08.2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

मद संख्या 129/2014:

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 11.07.2014 को राज निवास में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
एफ.2(3)2014/एमसी/डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 11.07.2014 को राज निवास में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

मद संख्या 130/2014:

जांच एवं सुनवाई बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली मुख्य योजना-2021 में प्रस्तावित संशोधन।
एफ.15(8)-2012/एमपी

श्री आर.के.जैन, अपर आयुक्त (योजना)एमपी और यूई ने एजेंडा मद का पॉवर प्वाइंट प्रेसेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने पहले ही जनवरी 2014 में एजेंडा मद को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद, जब आपत्तियों/सुझावों के लिए सार्वजनिक सूचना को प्रकाशित किया गया था, तो बड़े प्लॉटों के लिए ग्राउंड कवरेज और एफएआर को बढ़ाने के लिए एक सुझाव मिला। इस सुझाव को देखते हुए, इस एजेंडा मद को प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है।

प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार ने यह सुझाव दिया कि आवासीय इकाइयों की संख्या को बढ़ाने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि माननीय न्यायालय से आवासीय इकाइयों की संख्या को न बढ़ाने के निर्देश थे।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि आयुक्त (योजना) माननीय न्यायालय से अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की अनुमति देने हेतु अनुरोध करेंगे और इसके परिणाम प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाए। इस बीच, एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 131/2014:

राष्ट्रीय संचार और वित्त संस्थान (एनआईसीएफ), नई दिल्ली के लिए घिटोरनी गांव के रिवेन्यू एस्टेट में स्थित 21.58 हेक्टेयर (53.31 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग में "आवासीय" से "सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक उपयोग (पीएसपी)" में परिवर्तन करना, जिसमें फैसिलिटी कोरिडोर भी शामिल है, जैसा कि जोन जे की क्षेत्रीय विकास योजना में अनुमोदित किया गया है।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण ने अनुमोदित किया ।

मद संख्या 132/2014:

बहाई हाउस ऑफ़ वर्शिप, लोटस टेम्पल कॉमप्लेक्स, कालकाजी के विस्तार का प्रस्ताव।
एफ.13(50)/78/बिल्डिंग

आयुक्त (योजना) ने लोटस टेम्पल कॉमप्लेक्स, कालकाजी के विस्तार से संबंधित एजेंडा मद के बारे में जानकारी दी।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया। यह अनुमोदन मंदिर प्रबंधन के प्रस्ताव के एक बार अनुमोदन प्राप्त होने पर अनुमेय/स्वीकृत क्षेत्र को अधिक न बढ़ाने के वचनबंध के अधीन है।

मद संख्या 133/2014:

सहायक निदेशक (मंत्रालय) के पद के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन हेतु एजेंडा।
एफ.5(17)2012/पीएंडसी(पी)

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 134/2014:

वैकल्पिक प्लॉटों का कब्जा लेने में देरी को विनियमित करने के लिए नीति दिशानिर्देश।
एफ.11(648)86/एलएसबी(आवासीय)पार्ट

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 135/2014:

हरित पट्टी के भाग के रूप में 17 गांवों को शामिल करना और एस.ओ.सं.1744 (ई) दिनांक 18.06.2013 के राजपत्र अधिसूचना में संशोधन के रूप में 06 मौजूदा गांवों में आंशिक संशोधन करना।
एफ.3(103)96/एमपी/पार्ट.VII
श्री आर.जैन, अपर आयुक्त (योजना) एमपी एंड यूई ने एजेंडा मद पर पावर प्वाइंट प्रेसेंटेशन प्रस्तुत की।

माननीय उपराज्यपाल ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि दि.मु.यो.-2021 में ग्रीन बेल्ट के भाग के रूप में "केवल 17 गांवों को शामिल करना/घोषित करने" के लिए ही अनुमोदन दिया गया (जो कि 45 गांवों की पहली सूची में शामिल होने से रह गए थे और जिसे पहले

एस.ओ.सं.1744 (ई) दिनांक 18.06.2013 में अधिसूचित किया गया था।) माननीय उपराज्यपाल ने मौजूदा 6 गांवों से संबंधित आंशिक संशोधन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्राधिकरण के समक्ष इस प्रस्ताव को रखने से पहले इसे 'भाग ग्रीन' के रूप में घोषित करने के लिए ग्रीन बेल्ट में जोन पी-I, पी-II, जोन-एन और जोन-ई से 6 गांवों के प्रस्तावित आंशिक संशोधन की विस्तृत जांच के निर्देश जारी किए जाएं।

मद संख्या 136/2014:

योजना, जोन-डी में आने वाले होटल लीला, मोती बाग समीप स्थित 7830 वर्ग मी. (0.78 हे.) के भूमि उपयोग का 'परिवहन (रेल परिचालन)' से 'आवासीय' में प्रस्तावित परिवर्तन।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 137/2014:

बारापुला नाले के साथ दक्षिणी दिल्ली ग्रीन वे/ईको-मोबिलिटी कोरिडोर परियोजना।
एफ.2(7)13/यूटीपेक/पार्ट-I

एजेंडा मद के पैरा 3 में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 138/2014:

जीपीए/विक्रय करार के लिंक में मिलान न होने के मामले में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में कनवर्ज़न की अनुमति से संबंधित।
एफ.2(10)/2011/एनएंडसी/पार्ट.III

श्री अनिल कुमार शर्मा, मुख्य विधि सलाहकार ने एजेंडा मद को स्पष्ट की।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई राय के खंड (IV) अर्थात् "केन्द्र सरकार की नीति में किसी भी संशोधन

के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी लेना अपेक्षित होगा, के आधार पर मामला केन्द्र सरकार को निर्दिष्ट किया जाए।"

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बैठक का समापन अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।